



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 97 राँची, गुरुवार, 3 फाल्गुन, 1945 (श०)
22 फरवरी, 2024 (ई०)

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

अधिसूचना

21 फरवरी, 2024

संख्या-01/स्था०2-02/2019-419--श्रीमती रजनी देवी, (झा०शि०से०-02), (गृह जिला-राँची) जिला शिक्षा पदाधिकारी, पाकुड़-अतिरिक्त प्रभार-क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका को स्थानांतरित करते हुए क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक संथाल परगना प्रमंडल, दुमका के पद पर अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-01/स्था०2-02/2019...../श्रीमती निर्मला कुमारी बरेलिया, (झा०शि०से०-02), (गृह जिला-रामगढ़) जिला शिक्षा पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम-अतिरिक्त प्रभार-क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, कोलहान प्रमंडल, चाईबासा को स्थानांतरित करते हुए क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक कोलहान प्रमंडल, चाईबासा के पद पर अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-01/स्था०2-02/2019...../श्री शिवेन्द्र कुमार, (झा०शि०से०-02),
(गृह जिला-जहानाबाद) क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, पलामू प्रमंडल, मेदिनीनगर को स्थानांतरित करते हुए उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, झारखंड, राँची के पद पर अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में पदस्थापित किया जाता है ।

संख्या-01/स्था०2-02/2019...../श्री सुशील कुमार, (झा०शि०से०-02),
(गृह जिला-पटना) जिला शिक्षा पदाधिकारी, गोड्डा को स्थानांतरित करते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी, पलामू-अतिरिक्त प्रभार-क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, पलामू प्रमंडल, मेदिनीनगर के पद पर अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में पदस्थापित किया जाता है ।

संख्या-01/स्था०2-02/2019...../श्री दुर्गानन्द झा, (झा०शि०से०-02), जिला शिक्षा पदाधिकारी, साहेबगंज अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला शिक्षा अधीक्षक, साहेबगंज के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

संख्या-01/स्था०2-02/2019...../श्री उपेन्द्र नारायण, (झा०शि०से०-02),
(गृह जिला-पटना) जिला शिक्षा पदाधिकारी, हजारीबाग को स्थानांतरित करते हुए उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, झारखंड, राँची के पद पर अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में पदस्थापित किया जाता है ।

संख्या-01/स्था०2-02/2019...../श्री नूर आलम खाँ, (झा०शि०से०-02),
(गृह जिला-लातेहार) जिला शिक्षा अधीक्षक, बोकारो को स्थानांतरित करते हुए जिला शिक्षा अधीक्षक, लोहरदगा-अतिरिक्त प्रभार-जिला शिक्षा पदाधिकारी, लोहरदगा के पद पर अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में पदस्थापित किया जाता है ।

संख्या-01/स्था०2-02/2019...../श्री दीपक राम, (झा०शि०से०-02), (गृह जिला-हजारीबाग) जिला शिक्षा अधीक्षक, जामताड़ा को स्थानांतरित करते हुए जिला शिक्षा अधीक्षक, सिमडेगा के पद पर अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में पदस्थापित किया जाता है ।

संख्या-01/स्था०2-02/2019...../श्री श्रीमती अपरूपा पॉल चौधरी, (झा०शि०से०-02), (गृह जिला-राँची) जिला शिक्षा अधीक्षक, लोहरदगा-अतिरिक्त प्रभार-जिला शिक्षा पदाधिकारी, लोहरदगा को स्थानांतरित करते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी, खूँटी-अतिरिक्त प्रभार-जिला शिक्षा अधीक्षक, खूँटी के पद पर अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में पदस्थापित किया जाता है ।

संख्या-01/स्था०2-02/2019...../मो० वसीम अहमद, (झा०शि०से०-02),
(गृह जिला-चतरा) जिला शिक्षा अधीक्षक, गुमला-अतिरिक्त प्रभार-जिला शिक्षा पदाधिकारी, गुमला को स्थानांतरित करते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी, राँची के पद पर अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में पदस्थापित किया जाता है ।

संख्या-01/स्था०2-02/2019...../श्री अभय कुमार शील, (झा०शि०से०-02),
(गृह जिला-राँची) क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, चाईबासा-अतिरिक्त प्रभार-जिला शिक्षा अधीक्षक, प० सिंहभूम एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी प० सिंहभूम को स्थानांतरित करते हुए जिला शिक्षा अधीक्षक गुमला-अतिरिक्त प्रभार-जिला शिक्षा पदाधिकारी, गुमला के पद पर अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में पदस्थापित किया जाता है ।

संख्या-01/स्था०2-02/2019...../श्री प्रवीण रंजन, (झा०शि०से०-02),
(गृह जिला-रामगढ़) जिला शिक्षा अधीक्षक, खूँटी को स्थानांतरित करते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी, हजारीबाग के पद पर अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में पदस्थापित किया जाता है ।

संख्या-01/स्था०2-02/2019...../श्री अतुल कुमार चौबे, (झा०शि०से०-02),
(गृह जिला-गढ़वा) क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, तोरपा, खूँटी-अतिरिक्त प्रभार-जिला शिक्षा पदाधिकारी, खूँटी को स्थानांतरित करते हुए जिला शिक्षा अधीक्षक, बोकारो के पद पर अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में पदस्थापित किया जाता है ।

संख्या-01/स्था०2-02/2019...../श्री मुकुल राज, (झा०शि०से०-02), (गृह जिला-
हजारीबाग) जिला शिक्षा अधीक्षक, पाकुड़ को स्थानांतरित करते हुए जिला शिक्षा अधीक्षक गिरिडीह के पद पर अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में पदस्थापित किया जाता है ।

संख्या-01/स्था०2-02/2019...../सुश्री निशु कुमारी, (झा०शि०से०-02),
(गृह जिला-राँची) जिला शिक्षा अधीक्षक, पूर्वी सिंहभूम को स्थानांतरित करते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी, धनबाद के पद पर अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में पदस्थापित किया जाता है ।

संख्या-01/स्था०2-02/2019...../श्री टोनी प्रेमराज टोप्पो, (झा०शि०से०-02),
(गृह जिला-लोहरदगा) जिला शिक्षा अधीक्षक, देवघर-अतिरिक्त प्रभार-जिला शिक्षा पदाधिकारी, देवघर को स्थानांतरित करते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी, प० सिंहभूम के पद पर अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में पदस्थापित किया जाता है ।

संख्या-01/स्था०2-02/2019...../श्री अजय तोपनो, (झा०शि०से०-02),
(गृह जिला-सिमडेगा) क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, साहेबगंज को स्थानांतरित करते हुए जिला शिक्षा अधीक्षक, प० सिंहभूम के पद पर अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में पदस्थापित किया जाता है ।

संख्या-01/स्था०2-02/2019...../श्री मनोज कुमार, (झा०शि०से०-02),
(गृह जिला-कोडरमा) क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, हजारीबाग-अतिरिक्त प्रभार-जिला शिक्षा अधीक्षक, पलामू एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी, पलामू को स्थानांतरित करते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्वी सिंहभूम के पद पर अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में पदस्थापित किया जाता है ।

संख्या-01/स्था०2-02/2019...../श्री रणधीर कुजूर, (झा०शि०से०-02),
(गृह जिला-गुमला) प्राचार्य, महिला जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, मेदिनीनगर, पलामू अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला शिक्षा अधीक्षक, पलामू के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे ।

संख्या-01/स्था०2-02/2019...../श्री बिनोद कुमार, (झा०शि०से०-02),
(गृह जिला-गिरिडीह) जिला शिक्षा अधीक्षक, सिमडेगा को स्थानांतरित करते हुए जिला शिक्षा अधीक्षक, देवघर-अतिरिक्त प्रभार-जिला शिक्षा पदाधिकारी, देवघर के पद पर अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में पदस्थापित किया जाता है ।

संख्या-01/स्था०2-02/2019...../श्री राजेश कुमार पासवान, (झा०शि०से०-02),
(गृह जिला-बोकारो) जिला शिक्षा अधीक्षक, साहेबगंज को स्थानांतरित करते हुए जिला शिक्षा अधीक्षक, जामताड़ा के पद पर अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में पदस्थापित किया जाता है ।

संख्या-01/स्था०2-02/2019...../श्री विनय कुमार, (झा०शि०से०-02),
(गृह जिला-पूर्वी सिंहभूम) जिला शिक्षा अधीक्षक, गिरिडीह को स्थानांतरित करते हुए जिला शिक्षा अधीक्षक, कोडरमा-अतिरिक्त प्रभार-जिला शिक्षा पदाधिकारी, कोडरमा के पद पर अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में पदस्थापित किया जाता है ।

संख्या-01/स्था०2-02/2019...../श्री नयन कुमार, (झा०शि०से०-02),
(गृह जिला-दुमका) जिला शिक्षा अधीक्षक, कोडरमा-अतिरिक्त प्रभार-जिला शिक्षा पदाधिकारी, कोडरमा को स्थानांतरित करते हुए जिला शिक्षा अधीक्षक पाकुड़-अतिरिक्त प्रभार-जिला शिक्षा पदाधिकारी, पाकुड़ के पद पर अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में पदस्थापित किया जाता है ।

संख्या-01/स्था०2-02/2019...../सुश्री मिथिला टुडू (झा०शि०से०-02),
(गृह जिला-दुमका) क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, धनबाद-अतिरिक्त प्रभार-जिला शिक्षा अधीक्षक, गोड्डा को स्थानांतरित करते हुए जिला शिक्षा अधीक्षक, गोड्डा-अतिरिक्त प्रभार-जिला शिक्षा पदाधिकारी, गोड्डा के पद पर अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में पदस्थापित किया जाता है ।

संख्या-01/स्था०2-02/2019...../श्री आशिष कुमार पाण्डेय, (झा०शि०से०-02),
(गृह जिला-राँची) अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी, धालभूम, जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला शिक्षा अधीक्षक, पूर्वी सिंहभूम के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे ।

संख्या-01/स्था०2-02/2019...../श्री कैलाश मिश्रा, (झा०शि०से०-02),
(गृह जिला-चतरा) क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, पेटरवार, बोकारो को स्थानांतरित करते हुए क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, राँची (प्रतिनियुक्ति प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, झारखंड, राँची) के पद पर अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में पदस्थापित किया जाता है ।

संख्या-01/स्था०2-02/2019...../श्रीमती सरिता कुमारी, (झा०शि०से०-02),
(गृह जिला-लातेहार) क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, धालभूमगढ़, पूर्वी सिंहभूम को स्थानांतरित करते हुए प्राचार्य, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान (डायट), कोडरमा के पद पर अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में पदस्थापित किया जाता है ।

2. इस अधिसूचना द्वारा वैसे पदाधिकारी जिनके स्थान पर किन्हीं दूसरे पदाधिकारी का पदस्थापन हुआ है, परंतु उनका पदस्थापन कहीं अन्यत्र नहीं किया गया है, वे विभागीय मुख्यालय में योगदान करेंगे ।

3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

4. सभी स्थानांतरित पदाधिकारी स्थानांतरित पद पर एक सप्ताह के अंदर प्रभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे ।

5. जिन पदाधिकारियों को उच्चतर पद का प्रभार दिया गया है, वे अपने ही वेतनमान में उक्त पद के कार्य का निष्पादन करेंगे । भविष्य में उक्त पदाधिकारियों के द्वारा प्रभार के रूप में उच्चतर पद का वेतन का दावा मान्य नहीं होगा ।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

अक्षय कुमार सिंह
सरकार के अपर सचिव ।
